# कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/संग/2024/ 2198 दिनांक : 01.10.2024

## -:: आदेश ::-

(आदेश अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र दिन-प्रतिदिन अत्याधुनिक सुविधाओं एवं विकास के पथ पर अग्रसर होने के साथ-साथ महानगरीय संस्कृति (METROPOLITAN CULTURE) को अपनानें में भी अग्रणी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि महानगरों में होने वाले समस्त नवाचार जिनमें होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक एवं अन्य मनोरंजन की गतिविधियों का तेजी से चलन बढ़ा है, जिससे मनोरंजन की दृष्टि से इन सुविधाओं के होने को व्यवहारिक रूप से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस में होने वाली पार्टियां शहर के युवाओं का स्टेट्स सिंबल बनता जा रहा है, जिससे शहर में पढाई करने आये अधिकतर छात्र-छात्राओं में भी आकर्षण बढ रहा है। इन संस्थाओं के कुछ ग्राहकों द्वारा नशे की हालत में विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की घटनाऐं भी सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस में देर रात्रि तक अवैध रूप से युवाओं द्वारा पार्टियां की जाती है तथा देर रात्रि तेज ध्वनि में डीजे/ बैण्ड को देर रात तक बजाया जाता है, जिसके कारण अत्याधिक ध्वनि प्रदुषण होता है और आस-पास निवासरत नागरिकों के लिए परेशानियां व अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है।

आयुक्तालय क्षेत्र में वर्तमान में संचालित होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस जिनमें बीयर, शराब व भोजन (Beer, Wine and Food) उपभोक्ताओं (Customers) को उपलब्ध करवाई जाती है, जिनके लिए समय की कोई पाबन्दी अथवा लाईसेंस की अनिवार्यता नहीं होने के कारण, उस क्षेत्र और उनके आसपास निवासरत आमजन के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए व्यवधान पैदा होता है। इसलिए इनके प्रचलन से आमजन को होने वाली असुविधाओं एवं कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भी इसकी समीक्षा किया जाना समीचीन है।

जोधपुर शहर की जनसंख्या लगभग 20 लाख है। कमिश्नरेट प्रणाली के बेहतर संचालन के लिए व इस परिप्रेक्ष्य में यह नितांत आवश्यक है कि सार्वजनिक मनोरंजन का प्रबंधन, संचालन व नियंत्रण पुलिस आयुक्त के सूक्ष्म पर्यवेक्षण व नियंत्रण में हो, सार्वजनिक मनोरंजन से सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस पर नियंत्रण में एकरूपता नहीं है, जिसमें विभिन्न एजेंसियों व विभागों में पारस्परिक समन्वय का अभाव होने के कारण होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस संचालक इसका अनुचित लाभ उठाते है तथा नियमों की एकरूपता के अभाव में निर्देशों का उल्लघंन करते है तथा राजस्थान में उक्त गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/ नियम/विनियम नहीं होने से जोधपुर शहर की कानून-व्यवस्था पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है।



0291-2650900☎, 2650903🖷, cp-jodhpur-rj@nic.in✉, CP Jodhpur(facebook), @cp_jodhpur(Twitter), PIN-342003

भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक में राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन 06 जुलाई 2013 के द्वारा एवं दिल्ली में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या- 161/संयुक्त आयुक्त पुलिस/लाइसेंसिंग (ईडीपी) दिनांक 08.04.2023 के अनुसार लाईसेंसिंग प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लाईसेंस जारी किये जाते है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की गतिविधियों के संचालन हेतु नियम/ अधिनियम बनाये गए है।

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में आमजन के लिए इन स्थलों पर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा एवं विधि विरूद्ध गतिविधियों, असुविधा, क्षति या इसके जोखिम को निवारित करने के लिए पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में संचालित होटल/ रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस के संचालकों/उपयोगकर्ताओं को बाध्य/पाबन्द करना युक्तियुक्त है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं सन्तुष्ट हूँ कि पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावें।

अतः मैं, राजर्षि राज, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सम्पर्ण पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में संचालित होटल/रेस्टोरेन्ट्स/ गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस के संचालकों के लिए निम्न आदेश प्रसारित करता हूँ कि :-

**पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर के होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस के मैनेजरों/संचालकों को पाबन्द किया जाता है कि वे अपने होटल में ठहरे हुए ग्राहकों/उपभोक्ताओं के अतिरिक्त/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस में अनुमत नशीलें पदार्थों की रात्रि में 12.00 बजे के बाद ग्राहकों को उपभोग हेतु उपलब्ध नहीं करायेंगे तथा ना ही इस प्रकार की किसी अन्य गतिविधियों का संचालन करेंगे। अपने परिसर में रात्रि 10.00 बजे के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे।**

यह आदेश जनता की सुरक्षा एवं मानव जीवन व लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति को निवारित करने के लिए उपयुक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है एवं उन व्यक्तियों के विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक् रूप से कराने की गुंजाईश नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

चूंकि इस नोटिस को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं कराया जा सकता है, अतः आदेश को बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए प्रचारित किया जावें। इस नोटिस को प्रेस के माध्यम से और सभी कार्यालय (पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अति. पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त एवं सभी पुलिस थाना) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रकाशित किया जाकर सार्वजनिक किया जाए।

01/0/2024

मैं सभी को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ।

इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या कम्पनी/संस्था के संचालन/प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जावेगा।

यह आदेश दिनांक 02.10.2024 से दिनांक 30.11.2024 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जोधपुर

(राजर्षि राज)
पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय) जोधपुर

**प्रतिलिपि : निम्न को सादर सूचनार्थ –**

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेन्स, राजस्थानि जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अति. महानिदेशक पुलिस, रेल्वे/प्रशासन, कानून व व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।

**प्रतिलिपि : निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –**

1. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, एसएसबी जोन, जोधपुर।
5. जिला कलक्टर, जोधपुर।
6. पुलिस उपायुक्तगण, जिला पूर्व/पश्चिम/यातायात, आयुक्तालय जोधपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/जीआरपी, जोधपुर।
8. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
9. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
10. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
11. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
12. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों/मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
13. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर।
14. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, आयुक्तालय जोधपुर।
15. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधपुर।

पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय जोधपुर